केन-बेतवा लिंक परियोजना

पृष्ठभूमि

केन-बेतवा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच 25.8.2005 को एक त्रिपक्षीय समझोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) द्वारा अप्रैल, 2010 में केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। इसके बाद, परियोजना के चरण-II के लिए डीपीआर जनवरी 2014 में पूरी हो गई थी। केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों और माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 22.03.2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री की विशिस्ट उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे।

तकनीकी-आर्थिक मंजूरी और अन्य वैधानिक मंजूरियां

केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I और II के संबंध में विभिन्न स्वीकृतियों का कालक्रम नीचे सारणीबद्ध है:

क्र. सं.	स्वीकृतियां	कालक्रम और वर्तमान स्थिति
I	**केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I (दौधन बांध)**	
1.	तकनीकी-आर्थिक सलाहकार समिति, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा मंजूरी	सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 08.07.2016 को आयोजित अपनी 129वीं बैठक में परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरी।
2.	वैधानिक मंजूरी	
i)	वन्यजीव संबंधी मंजूरी	माननीय मंत्री (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) की अध्यक्षता में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने 23.08.2016 को आयोजित अपनी 39 वीं बैठक में वन्यजीव मंजूरी प्रदान करने के लिए परियोजना की सिफारिश की। 21.09.2016 को मंजूरी दी गई ।
II)	जनजातीय कार्य मंत्रालय से मंजूरी	जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 04.01.2017 को मंजूरी दे दी है।
iii)	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा समीक्षा	सीईसी ने 01.05.2017 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया। समिति ने प्रस्ताव की जांच के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया, जिसे 23.5.2017 को प्रस्तुत किया गया।समय-समय पर इसका अनुसरण किया जाता रहा है।
IV)	वन भूमि के पथांतरण संबंधी मंजूरी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कुछ शर्तों के साथ 25.05.2017 को चरण-I स्वीकृति/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

v)	निवेश संबंधी मंजूरी	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 19.06.2017 को निवेश मंजूरी प्रदान की गई है।
vi)	पर्यावरण संबंधी मंजूरी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 25.08.2017 को कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी दी गई है।

II	**केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण- II (लोअर ऑर परियोजना, कोठा बैराज परियोजना, बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना)**	
1.	लोअर ऑर परियोजना	1. तकनीकी आर्थिक मंजूरी 02.11.2021 को दी गई है। 2. इस परियोजना की सिफारिश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा 02.05.2016 को पर्यावरण मंजूरी के लिए की गई है। अंतिम स्वीकृति प्रतीक्षित है। 3. जनजातीय कार्य मंत्रालय से 03.10.2018 को कुछ शर्तों के साथ पुनर्वास एवं पुनःस्थापना योजना के लिए मंजूरी दी गई है। 4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12.02.2019 को चरण- I वन मंजूरी प्रदान की गई है। 5. चरण- II वन मंजूरी 06.05.2021 को प्रदान की गई।
2.	कोठा बैराज परियोजना	1. तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान की गई है। 2. मध्य प्रदेश सरकार के राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा 21.08.2020 को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है।
3.	बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना	तकनीकी आर्थिक मंजूरी 22.11.2021 को दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 22.07.2017 को कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी दी गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27.07.2016 को चरण-I वन मंजूरी प्रदान की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 11.07.2018 को चरण- II वन मंजूरी प्रदान की गई है।

i)	फंडिंग पैटर्न अर्थात पीआईबी से अनुमोदन / कैबिनेट नोट	**16.11.2021** को वित्त मंत्रालय से पीआईबी की मंजूरी
ii)	केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी	**08.12.2021** को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी
iii)	राजपत्र अधिसूचना	संचालन समिति और केबीएलपीए के गठन के लिए राजपत्र अधिसूचना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा **11.02.2022** को प्रकाशित की गई है।